C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
10 JUN 2025
D. No. ....
Initials..........

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00113
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00164
अपीलकर्ता श्री पुष्पेंद्र

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.03.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.03.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.04.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बाबू लाल CPIO, SO (Dak Section)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	14.05.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	16.05.2025
निर्णय की तारीख	10.06.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.03.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"1.) निवेदन है कि इस RTI आवेदन पत्र की फीस के लिए मैं 10/- रूपए का IPO सं - 65F 113528 इसके साथ सल्गन कर रहा हूँ। इस I.P.O. के एवज में CIC द्वारा जारी की जाने वाली रसीद की मूल / कार्बन/ फोटो प्रति भेजने का कष्ट करें।

2.) मेरे दिनांक 01.11.2024 को श्री विनोद कुमार तिवारी जी, सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को File No. CIC/DDATY/A/2023/132820, दिनांक 23.10.2024 के लिए भेजी written reply CIC में किस तिथि को प्राप्त हुई तथा C.I.C द्वारा उसे क्या डायरी संख्या दी गई।

3.) मेरे मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 को स्पीड पोस्ट से दिनांक 13.01.2025 को File No. CIC/DDATY/A/2023/132820 दिनांक 13.12.2024 के बाद भी सूचना न मिलने पर CIC को भेजा पत्र CIC में किस तिथि को प्राप्त हुआ तथा CIC द्वारा उसे क्या डायरी संख्या दी गई।

4.) मुझे CIC/DDATY/A/2023/132820 के सभी पेजों की Attested फोटो प्रतियां भेजकर कृतार्थ करें।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बाबू लाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 23.04.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

1.) - वांछित सूचना सल्गन है।

2.) - आपका दिनांक 31.10.2024 का File No. CIC/DDATY/A/2023/132820 में written reply 04.11.2024 को CIC में प्राप्त हुआ और उसे डायरी संख्या 135420 दी गई।

3.) - आपके द्वारा File No. CIC/DDATY/A/2023/132820 से संबंधित भेजा गया पत्र दिनांक 13.01.2025 CIC में 14.01.2025 को प्राप्त हो गया था तथा इसे डायरी संख्या 101689 दी गई थी।

4.) Total number of pages 37 excluding the paper/communication received from you, will only be provided to you subject to payment of Rs. 2/- per copy as per Section 4 RTI Rules 2012. Accordingly, you are advised to deposit Rs. 74/- ... Mode of payment of fee – Fess unde these rules may be paid in any of the following manner, namely – (a) in cash, to the public authority or to the Central Assistant Public Officer of the public authority, as the case may be, against a porper receipt or (b) by demand draft or bankers cheque or Indian Postal Order payable to the Accounts Officer or the public authority (c) by electronic means to the Accounts Officer of the public authority, if facility for receiving fees through electronic means is available with the public authority."

3. प्रथम अपील का आधार

CIC द्वारा भेजे पत्र RTI No CICOM/R/P//25/00164, दिनांक 23.04.2025 में मुझे मेरे प्रश्न - 4 की Attested फोटोप्रतियाँ देने के लिए रु 74 /- जमा करने की लिए लिखा था।
मैंने रु 74/- के IPO, CIC को दिनांक 26.04.2025 को स्पीड पोस्ट से भेज दिए थे जो CIC को 28.04.2025 को प्राप्त हो गए है। फिर भी CIC ने मेरे RTI प्रार्थना पत्र के 30 दिन बाद भी Attested फोटोप्रतियां नहीं भेजी है।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00164 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार है। आपने अपनी प्रथम अपील में लिखा है कि आपको अभी तक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने आपके द्वारा मांगी गई Attested फोटोप्रतियां प्रदान नहीं की है, जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 14.05.2025 को ही Attested फोटोप्रतियां भेज दी है, जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सलग्न कर दी गई है।
अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 10.06.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :
1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।